UPPG010033422026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (एच०जे०एस०) जे०ओ० कोड–UP 1713
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–239/2026
सुधीर सोनी बनाम राज्य

दिनांक–10–6–2026

1. पत्रावली पेश हुई।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

3. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत के शर्तों में शिथिलीकरण किये जाने हेतु प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त अपराध में दिनांक–27.01.2026 से जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरूद्ध है प्रार्थी की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–02.06.2026 को मु. 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा उतने ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। किन्तु प्रार्थी के गरीब एवं असहाय होने के कारण उसकी तरफ से कोई जमानत नामा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसकी रिहाई नहीं हो सकी। बन्दी उपरोक्त ने जेल विजिट के दौरान एल.ए.डी.सी.एस.टी से निवेदन किया कि उसकी जमानत की शर्तों में शिथिलीकरण करते हुए निजी मुचलके पर रिहा किया ने का आदेश पारित करा दिया जाये। तो जेल से बाहर निकलने पर अपनी जमानते दाखिल कर देगा तथा इसी आशय का एक पत्र जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के परिस्थितियों एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुक्रम में निजी मुचलके पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अन्त में प्रार्थी विचाराधीन बन्दी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था SMWP (Criminal) 4/21 In Re Policy Stratgy For Grant of Bail में जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में जमानत की शर्तों में शिथिलीकरण करते हुए निजी मुचलके पर रिहा किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रतापगढ़ की आख्या अनुसार सामाजिक स्तर पर प्रार्थी की चाल चलन व आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है। जिससे उसके परिवार के लोग उसे छुडाना नहीं चाहते है, अभियुक्त/विचाराधीन बन्दी की माता अपने छोटे पुत्र सचिन के पास मुम्बई चली गई है। आवेदक/ अभियुक्त दिनांक–27.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक–

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.06.10 14:07:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

02.04.2026 स्वीकार हो चुकी है। अतः पूर्वादेशानुसार आवेदक/अभियुक्त सुधीर सोनी के संबंध में 50,000/–(पचास हजार रूपये) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू को न्यायहित में शिथिल करते हुए 30,000/–(तीस हजार रूपये) रूपये के व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर रिहा कर दिया जाये। रिहा होने के 07 दिन के भीतर वह न्यायालय में उपस्थित होगा तथा 30,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो प्रतिभू दाखिल करेगा। उल्लंघन करने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकेगा और यह आदेश स्वयं निष्प्रभावी माना जायेगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था SMWP (Criminal) 4/ 21 In Re Policy Stratgy For Grant of Bail में जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में फौजदारी जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–465/2026,विजय कुमार सिंह बनाम राज्य उ.प्र. द्वारा पारित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़ आदेश दिनांकित–02.04. 2026,अन्तर्गत धारा–317(2), 317(5) बी.एन.एस., थाना जी.आर.पी., जिला प्रतापगढ़ में पारित आदेश शिथिल किया जाता है।

तदनुसार दाण्डिक प्रकीर्ण वाद अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

दिनाँक–10.06.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़।